न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 57 / 2024

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री आशुतोष नरूला पुत्र श्री एम एल नरूला (विक्रेता) मैसर्स रजत सुपर स्टोर एण्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, शॉप नम्बर 14, स्टेडियम के सामने, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर।
2. मैसर्स रजत सुपर स्टोर एण्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, शॉप नम्बर 14, स्टेडियम के सामने, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर।
3. श्रीमती कविता (प्रोपराईटर) मैसर्स कविता एजेन्सीज, 145 / 13, अशोक नगर, नारीशाला रोड, अजमेर
4. मैसर्स कविता एजेन्सीज, 145 / 13, अशोक नगर, नारीशाला रोड, अजमेर
5. श्रीमती सीता देवी अग्रवाल (प्रोपराईटर), मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स, जी 754, रोड नम्बर 9–एफ–2, वी के आई एरिया, जयपुर
6. मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स, जी 754, रोड नम्बर 9–एफ–2, वी के आई एरिया, जयपुर
7. श्री आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री शिव नारायण सिंह, लोदियाघटा, लोदियाघटा, गोंडा (उप्र) 271123 (नॉमिनी) मैसर्स इनडोडेन एन्टरप्राइजेज प्रा लि, प्लॉट नम्बर 2161, सेक्टर 38, एसएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, राई, फेस–।।, सोनीपत, हरियाणा 131001
8. मैसर्स इनडोडेन एन्टरप्राइजेज प्रा लि, प्लॉट नम्बर 2161, सेक्टर 38, एसएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, राई, फेस–।।, सोनीपत, हरियाणा 131001

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II)(V)एवं धारा 51, 58के तहत

अभिभाषक : श्री बी एस शेखावत, श्री कुलदीप शर्मा

–: आदेश :–

दिनांक–29.08.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने Contravens,अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) घी (इन्डाना ब्राण्ड) का विक्रय करके

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्स्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.03.2024 को 03:00 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारीमैसर्स रजत सुपर स्टोर एण्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, शॉप नम्बर 14, स्टेडियम के सामने, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे।विक्रेता की हैसियत से श्री आशुतोष नरूला मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय 500 मिली के घी (ब्राण्ड इन्डाना) के 09 पैकेट आम जनता कोंविक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त घी (ब्राण्ड इन्डाना) की गुणवत्ता में कमी होने का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 04 पैकेट घी (ब्राण्ड इन्डाना) 980/– रूपयें श्री आशुतोष नरूला को नगद देकर गवाह श्री केसरी नन्दन शर्मा के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री आशुतोष नरूला को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा घी (ब्राण्ड इन्डाना) को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतलमें बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4194 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1730 दिनांक 20.03.2024के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/216/एक्ट/2024/271दिनांक 19.03.2024के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गयाघी (ब्राण्ड इन्डाना) Contravens, अवमानक (सब स्टेण्डर्ड)होना पाया गया। विक्रेता द्वारा पुनः अपील नहीं की गयी।इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 21.11.2024को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 21.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार नमूना लेने की कार्यवाही नहीं की गयी है, नमूने की जॉच निर्धारित मानक के अनुसार नहीं हुई है तथा अप्रार्थीगण को पुनः जॉच करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। नमूना घी (ब्राण्ड इन्डाना) में फैटी एसिड

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

प्रोफाइल की जाँच के आधार पर नमूना को सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। उन्होने यह भी कथन किया कि नमूना हेतु विक्रय किया गया घी दिनांक 05.11.2023 को निर्मित किया गया था तथा तत्समय नियम 2.1.8 एफएसएस के अनुसार यदि घी का नमूना निर्धारित मानक स्तर का है तो केवला फैटी एसिड प्रोफाइल के आधार पर घी का नमूना सब स्टेण्डर्ड नहीं माना जा सकता। उन्होने यह भी कथन किया कि घी, गाय व भैंस के दूध से बनता है तथा गाय भैस को खिलाये जाने वाले पशु आहार जो कि वैजिटेबल ऑयल से निर्मित है, के कारण दूध से बनने वाले घी में वैजिटेबल ऑयल की उपस्थिति आ जाती है। उन्होने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी को धारा 47 के तहत अधिसूचित लैबोरेटरी में जाँच करवाने बाबत अवगत नहीं कराया गया था। उन्होने यह भी कथन किया कि नमूना हेतु विक्रय किया गया घी (ब्राण्ड इन्डाना) 500मिली के सीलबन्द पैकेट में था जो कि विपक्षी संख्या 7 व 8 के द्वारा निर्मित किया गया था एव धी (ब्राण्ड इन्डाना) के पैकेट में किसी भी प्रकार की कमी के लिए विपक्षी संख्या 7 व 8 ही इसके लिए उत्तरदायी है तथा धारा 80(B)(2)(d)(i) के तहत विपक्षी संख्या 1 से 6 किसी प्रकार के उत्तरदायी नही है। उन्होने यह भी कथन किया कि अधिनियम की धारा 37 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखते है न ही इसके लिए क्वालिफाईड है। अतः ऐसे व्यक्ति द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही, उसके बाद की समस्त कार्यवाही तथा परिवाद पेश करने की कार्यवाही अवैद्य होने से परिवाद निरस्त योग्य है।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया घी (इन्डाना ब्राण्ड) Contravens,अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया घी (इन्डाना ब्राण्ड) Contravens,अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्यपदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 में Contravens,अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगणको जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु.20,000/–(बीस हजार) शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 29.08.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

दिनांक :

दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभि0हित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री आशुतोष नरूला पुत्र श्री एम एल नरूला (विक्रेता) मैसर्स रजत सुपर स्टोर एण्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, शॉप नम्बर 14, स्टेडियम के सामने, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर।
5. मैसर्स रजत सुपर स्टोर एण्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, शॉप नम्बर 14, स्टेडियम के सामने, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर।
6. श्रीमती कविता (प्रोपराईटर) मैसर्स कविता एजेन्सीज, 145/13, अशोक नगर, नारीशाला रोड, अजमेर
7. मैसर्स कविता एजेन्सीज, 145/13, अशोक नगर, नारीशाला रोड, अजमेर
8. श्रीमती सीता देवी अग्रवाल (प्रोपराईटर), मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स, जी 754, रोड नम्बर 9–एफ–2, वी के आई एरिया, जयपुर
9. मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स, जी 754, रोड नम्बर 9–एफ–2, वी के आई एरिया, जयपुर
10. श्री आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री शिव नारायण सिंह, लोदियाघटा, लोदियाघटा, गोंडा (उप्र) 271123 (नॉमिनी) मैसर्स इनडोडेन एन्अटरप्राइजेज प्रा लि, प्लॉट नम्बर 2161, सेक्टर 38, एसएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, राई, फेस–।।, सोनीपत, हरियाणा 131001
11. मैसर्स इनडोडेन एन्टरप्राइजेज प्रा लि, प्लॉट नम्बर 2161, सेक्टर 38, एसएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, राई, फेस–।।, सोनीपत, हरियाणा 131001

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर
सत्यमेव जयते